मूल वाद संख्या 2023/111

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

हीना रानी व अन्य बनाम अबोहरीलाल व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2023/085

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
01.09.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता विक्रम बिश्नोई द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ-पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 4 जे बडा, पटवार हल्का कालियां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46, मुरब्बा नं0 35 में किला नं0 3 ता 8, 15, 16 प्रत्येक सालम व किला नं0 25/2 में 0.126 हैक्टे0 कुल 2.1500 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अन्य किसी तरीके से रहन, बैय व हस्तान्तरित करने से निषिद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोडा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/असलतन दिनांक 22.09.2023 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें। अन्यथा क्यों ना अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थीगण अप्राथीगण को साधारण डाक के साथ-साथ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाकर रजिस्टर्ड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करे। तहरीर जारी की जाकर पत्रावली आयन्दा तारीख पेशी 22 सितम्बर, 2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) शिवा चौधरी R.A.S. **सहायक कलक्टर एव कार्यापालक दण्डनायक (फार) श्रीगंगानगर**	
22.09.23	अधिवक्तागण उप. / अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] नागपाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया शामिल पत्रा० किया गया। आज पीठासीन अधिकारी ...[illegible]... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/10/22 को पेश हो।	

18/10/23 आज पीठासीन अधिकारी...चुनाव कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/23...को पेश हो।

19/12/23 आज पीठासीन अधिकारी...अ.-उपचार व कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-24...को पेश हो।

8-1-24 आज पीठासीन अधिकारी...चुनाव कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-1-24...को पेश हो।

15-1-24 आज पीठासीन अधिकारी...राष्ट्रीय युवा खेल प्रतियोगिता के आयोजन में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-2-24...को पेश हो।

29-2-24 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-3-24 को पेश हो।

27/3/24 आज पीठासीन अधिकारी...अवकाश में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/5/24...को पेश हो।

15.05.24 अधिवक्तागण [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] रानी [illegible] [illegible] 2023/036 [illegible] अबोहरीलाल [illegible] का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः [illegible] 212 RTA वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल [illegible]

not press
Heeng View

R.T.I.
अबोहरीलाल
[illegible]
मैं [illegible]
[illegible]